राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1873/2021

सुरेश चन्द्र जाटव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, करौली, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.04.2021
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.11.2020 एवं 15.09.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 4800 ग्रेड पे जो पूर्व में दी गई है उसे निरंतर रखते हुये तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 5400 का लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 17.10.1992 के द्वारा वेतनमान 950–20–1150–25–1400–30–1640–40–1680 में हुई थी और आदेश

दिनांक 11.10.1994 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के समान वेतनमान 1200–2050 का लाभ दिया गया। 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.10.2002 से वेतनमान 5000–8000 दिया गया और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 21.07.2011 के द्वारा दिनांक 24.10.2010 से 3600 ग्रेड पे का लाभ दिया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा ग्रेड पे को अपग्रेड करते हुये अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 की गई और इस प्रकार अपीलार्थी के वेतनमान का भी निर्धारण किया गया और सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800 पे मेट्रिक्स एल 12 का निर्धारण किया गया और अपीलार्थी दिनांक 01.07.2013 से 4800 ग्रेड पे का लाभ प्राप्त कर रहा है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2020 के द्वारा 4800 ग्रेड पे को 4200 ग्रेड पे में संशोधन कर दिया गया जो नियम विरूद्ध है और अतिरिक्त भुगतान की वसूली किये जाने का आदेश दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 4800 ग्रेड पे जो पूर्व में दी गई है उसे निरंतर रखते हुये तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 5400 का लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.10.1992 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को वेतनमान 5000–8000 और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 3600 स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त हुआ। इसलिये अध्यापक ग्रेड तृतीय का वेतनमान देय नहीं है और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक हेतु ग्रेड पे 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 4200 की गई। अपीलार्थी को राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, देवनवाडा, दौसा द्वारा दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 त्रुटिवश की गई जबकि देय नहीं है, जिसकी वसूली

किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की प्रथम एसीपी दिनांक 24.10.2002 को वेतनमान 5000–8000 एवं द्वितीय एसीपी दिनांक 24.10.2010 को ग्रेड पे 3600 देय होती है जो दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200 परिवर्तित हो गई। परंतु अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 31.12.2015 तक ग्रेड पे 4800 स्वीकृत कर उसी के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करवाकर भुगतान किया जा रहा है और ग्रेड पे 4200 के स्थान पर ग्रेड पे 4800 का अधिक भुगतान की वसूली कर राज्य कोष में जमा करवाकर दिनांक 01.01.2016 का पुनरीक्षित वेतनमान संशोधन करवाकर अधिक भुगतान की वसूली कर राज्य कोष में जमा करवाने के उपरांत ही 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृत किया जाना संभव है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 17.10.1992 के द्वारा हुई थी और 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.10.2002 से वेतनमान 5000–8000 दिया गया और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 21.07.2011 के द्वारा दिनांक 24.10.2010 से 3600 ग्रेड पे का लाभ दिया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा ग्रेड पे को अपग्रेड करते हुये अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 की गई और इस प्रकार अपीलार्थी के वेतनमान का भी निर्धारण किया गया और सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800 पे मेट्रिक्स एल 12 का निर्धारण किया गया और अपीलार्थी दिनांक 01.07.2013 से 4800 ग्रेड पे का लाभ प्राप्त कर रहा है। जहां तक अपीलार्थी से आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2020 एवं आदेश दिनांक 19.11.2020 के द्वारा अधिक भुगतान की वसूली किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय एसीपी का लाभ 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान किया गया। परंतु हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की प्रथम एसीपी दिनांक 24.10.2002 को वेतनमान 5000–8000 एवं द्वितीय एसीपी दिनांक 24.10.2010 को ग्रेड पे 3600 देय होती है जो दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200

परिवर्तित हो गई। परंतु अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 31.12.2015 तक ग्रेड पे 4800 स्वीकृत कर उसी के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करवाकर भुगतान किया जा रहा है और ग्रेड पे 4200 के स्थान पर ग्रेड पे 4800 का अधिक भुगतान की वसूली किये जाने का आदेश जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित आधारों का उल्लेख करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य